कार्यकारी सार

समावेशी शिक्षा प्रणाली जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के पास शैक्षिक प्रगति के लिए समान अवसर हैं, एक सर्वोच्च वैश्विक प्राथमिकता है। भारत ने यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड (यूएनसीआरसी) और यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ (यूएनसीआरपीडी) की पुष्टि करके दिव्यांग बच्चों को शामिल करने का अधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। ऐसी शिक्षा प्रणालियां जो समावेशी, न्यायसंगत और सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, समावेशी समाजों का निर्माण करने में मदद कर सकती हैं। शिक्षा और समाज के बीच यह गतिशील और जैविक संबंध, बदलाव लाने और सामाजिक न्याय हासिल करने के केंद्र में स्थित है।

रिपोर्ट के बारे में

भारत में पिछले बीस वर्षों से शिक्षा के सार्वभौमीकरण और शिक्षा के अधिकार के लिए महत्वपूर्ण कानूनी और राजनीतिक प्रतिबद्धताएं देखी गई हैं। यह रिपोर्ट दिव्यांग बच्चों (सीडब्ल्यूडी) की शिक्षा के अधिकार का संरक्षण करने के लिए देश में किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों का प्रलेखीकरण करती है, और इसकी पूर्ण प्राप्ति के लिए क्या किया जाना है, इसकी रूपरेखा तैयार करती है।

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा तैयार और यूनेस्को, नई दिल्ली द्वारा मान्यता-प्राप्त, यह रिपोर्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के व्यापक शोध और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति, उपलब्धियों के साक्ष्य और निरंतर चिंताओं पर व्यापक जानकारी प्रदान करने के प्रयासों पर आधारित है। यह बड़े पैमाने पर वर्ष 2017 और 2018 के बीच यूनेस्को, नई दिल्ली द्वारा मान्यता-प्राप्त विषयगत शोध अध्ययनों की एक श्रृंखला पर आधारित है।

रिपोर्ट ने विशेषज्ञों के साथ और क्षेत्र में सीधे काम करने वालों से केस स्टडी के रूप में योगदान के साथ एक सहभागी दृष्टिकोण अपनाया है। प्रमुख हितधारकों के साथ की गई सहकर्मी-समीक्षाओं की एक श्रृंखला से मिली प्रतिक्रिया और सुझावों ने रिपोर्ट को सुधारने और पूरा करने में मदद की है।

विशेषताएं

समावेशी शिक्षा के लिए दृष्टि

अंतर्राष्ट्रीय मानक ढांचा यूएनसीआरपीडी और संवहनीय विकास ध्येय, विशेष रूप से एसडीजी 4 और एजेंडा 2030 को शामिल करता है, जो एक मजबूत दृष्टि और लक्ष्यों का एक समूह उपलब्ध कराता है, जिसने स्कूलों में समावेश को बढ़ावा देने की भारत की प्रक्रियाओं को निर्देशित किया है। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी) 2016 ने समावेशी शिक्षा के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा बनाने में मदद की है। हालांकि, इस बारे में कुछ अस्पष्टताएं हैं कि दिव्यांग बच्चों को कहां अध्ययन करना चाहिए और उन्हें पढ़ाने वाला कौन होना चाहिए। मानदंडों और मानकों को लागू करने के लिए एक समन्वित प्राधिकारी की अनुपस्थिति में लागू सभी शैक्षणिक संस्थानों, दिव्यांग बच्चों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए उपयुक्त मानदंड और मानक के रूप में अंतराल बने रहते हैं। कानूनी प्रावधानों का संचालन मुख्य रूप से समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से होता है जो शिक्षा नीति के अंतर्निहित सिद्धांत के रूप में समावेशी शिक्षा को लागू करता है। जबकि यह नियमित स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के नामांकन में वृद्धि, बाधाओं को हटाने, शिक्षकों के प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर केंद्रित है, यह गृह-आधारित शिक्षा भी प्रदान करता है। यह स्पष्ट रूप से विशेष स्कूलों की सामान्य शिक्षकों के लिए संसाधन केंद्र के रूप में कल्पना करता है, जिनकी आवश्यकता दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है। समग्र शिक्षा अभियान दिव्यांग बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में अभिसरण की परिकल्पना भी करता है जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में फैले हुए हैं। यथापरिकल्पित एक समन्वित प्रयास के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन अभी संचालित किया जाना है।

दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति

वर्तमान स्थिति का विश्लेषण इंगित करता है कि 19 वर्ष से कम आयु के अनुमानित 7.8 मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं। दिव्यांग लोगों के अनुपात का राष्ट्रीय अनुमान अंतरराष्ट्रीय अनुमानों की तुलना में बहुत कम है, जिससे भारतीय जनगणना में उपयोग किए जाने वाले दिव्यांगता उपायों के बारे में सवाल उठते हैं, जिसकी रिपोर्ट में बाद में चर्चा की जाएगी। 5 वर्ष के दिव्यांग बच्चों में से तीन-चौथाई किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नहीं जाते हैं। न ही 5 से 19 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों का एक-चौथाई भाग स्कूल जाता है। स्कूल में नामांकित बच्चों की संख्या स्कूलिंग के प्रत्येक क्रमिक स्तर के साथ काफी कम हो जाती है। लड़कों की तुलना में स्कूल में दिव्यांग लड़कियों की संख्या कम है। दिव्यांग बच्चों का अनुपात जो स्कूल से बाहर हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आउट-ऑफ-स्कूल बच्चों के समग्र अनुपात से बहुत अधिक है। इस प्रकार, यद्यपि योजनाओं और कार्यक्रमों के द्वारा दिव्यांग बच्चों को स्कूलों में लाया गया है, फिर भी इसमें कमियां है।

कार्यान्वयन की पद्धतियां और चुनौतियां

आरटीई अधिनियम 2009 और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 का कार्यान्वयन न्यायपालिका द्वारा प्रावधानों की व्याख्या करने और कार्यकारी को निर्देश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ शुरू हुआ है। हालांकि, दिव्यांग बच्चों के कानूनी अधिकारों और पात्रताओं के बारे में जागरूकता की कमी, शिकायत निवारण तंत्र की पहुंच में कमी और कार्यान्वयन के लिए समन्वित प्रवर्तन तंत्र की कमी के कारण परिणाम मिला-जुला रहा है। भले ही, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) और भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीई) समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षकों को तैयार करने के उपाय कर रहे हैं, लेकिन प्रशिक्षित मानव संसाधनों में उभरते मुद्दों और कमियों का निवारण करने के लिए निरंतर निवेश और लचीली योजना की आवश्यकता है।

मुख्यधारा शिक्षा में दिव्यांग बच्चों को शामिल करने की दिशा में माता-पिता और शिक्षकों का रवैया समावेशी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। समावेशी प्रथाओं के विकास में लचीले पाठ्यक्रम और उपयुक्त संसाधनों की उपलब्धता की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम के डिजाइन के लिए विभिन्न प्रकार के ढांचे को एक पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए नियोजित किया जा सकता है जो अनुकूलन के लिए सार्वभौमिक और उपयुक्त हो। सुलभ भौतिक अवसंरचना, स्कूल प्रक्रियाएं, सहायक प्रौद्योगिकियां, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और उपकरण आवश्यक हैं। हालांकि, ये सतत चुनौतियां दिव्यांग बच्चों की पूर्ण भागीदारी में बाधा बनी हुई है। स्कूल-आधारित मूल्यांकन विभिन्न बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करने तथा पाठ्यक्रम एवं निर्देशन में योजना संशोधन में मदद कर सकता है। स्कूलों में मूल्यांकन की कमी अधिगम अक्षमता (एलडी) के विशेष मूल्यांकन के लिए उच्च रेफरल का कारण बन सकती है, और अनुचित औपचारिक मूल्यांकन अधिगम अक्षमता की घटनाओं को बढ़ाते हुए, गलत निदान का कारण बन सकते हैं।

अवसंरचनात्मक और क्षमता सीमाओं के कारण, बचपन के विकास के लिए जिम्मेदार आंगनवाड़ियों, स्थानीय निकायों में बचपन में विकास संबंधी देरी और समय पर हस्तक्षेप की प्रारंभिक पहचान अभी तक व्यापक नहीं है।

प्रचलित डेटा सिस्टम को डेटा की उपलब्धता, वैधता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। शासन से संबंधित मुद्दे जैसे कि शैक्षिक व्यवस्था में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए खराब प्रावधान, आने-जाने की समस्या, पहुंच में असमानता, और विभिन्न हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय की कमी, कार्य की कई पटलों और समस्या के पैमाने के कारण कायम रहती है। अपर्याप्त आवंटन, कोष जारी करने में देरी और आवंटन का न्यून उपयोग दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को वित्त पोषित करने में महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं।

भावी पथ

रिपोर्ट के अंत में विश्लेषण के निष्कर्ष से दस सिफारिशों के एक सेट को प्रस्तावित किया गया है।

सिफारिश 1:
दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की विशिष्ट समस्याओं को शामिल करते हुए, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के साथ बेहतर मिलान करने के लिए आरटीई अधिनियम में संशोधन
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 शिक्षा पर भारत का प्राथमिक विधान है। विशिष्ट दिव्यांग बच्चों के सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे संशोधित करने से दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 में इसे संरेखित करने में मदद मिलेगी।

सिफारिश 2:
दिव्यांग बच्चों के सभी शिक्षा कार्यक्रमों के प्रभावी संकेन्द्रण के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के अंतर्गत एक समन्वय तंत्र स्थापित करना।
दिव्यांग बच्चों हेतु सभी स्तरों, गतिविधियों, विभागों, मंत्रालयों और योजनाओं के लिए सभी शिक्षा कार्यक्रमों का समन्वय करने के लिए एक मंत्रालय-स्तरीय तंत्र मौजूदा संसाधनों का लाभ उठाने, विसंगतियों को दूर करने और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य से विभिन्न उपायों में तालमेल हासिल करने में मदद करेगा।

सिफारिश 3:
दिव्यांग बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा बजट में विशिष्ट और पर्याप्त वित्तीय आवंटन सुनिश्चित करना।
जेंडर बजटिंग की तरह, दिव्यांगता बजट का उपयोग विभिन्न कार्यक्रमों के लिए संसाधन आवंटन को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। बच्चों की सीखने की जरूरत पूरा करना, तथा उन मामलों में जहां बजट की कमी पाई जाती है, समीक्षा और कार्रवाई को सक्षम बनाना काफी महत्वपूर्ण होगा।

सिफारिश 4:
नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी हेतु डेटा प्रणालियों का सशक्तीकरण ताकि उन्हें मजबूत, विश्वसनीय और उपयोगी बनाया जाए।
डेटा प्रभावी नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी की रीढ़ बनता है। परिभाषाओं में एकरूपता, और न्यू वाशिंगटन समूह प्रश्न या प्रासंगिक रूप से उपयुक्त यूनिसेफ साधनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय उपायों का उपयोग करके दिव्यांगता पर लिंग-पृथक्कीकृत डेटा की उपलब्धता, डेटा की सटीकता और वैधता में काफी सुधार करेगी।

सिफारिश 5:
स्कूल पारिस्थितिकी प्रणालियों को समृद्ध बनाना और दिव्यांग बच्चों के समर्थन में सभी हितधारकों को शामिल करना।
पर्याप्त समर्थन संरचनाओं और सेवाओं के साथ स्कूल पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना और साझाकरण, प्रासंगिक समझ के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के समर्थन में सभी हितधारकों को सम्मिलित करना समावेशी शिक्षा के आसपास के उद्देश्य की एक सामान्य भावना पैदा करने में मदद करेगी।

सिफारिश 6:
दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का व्यापक विस्तार करना।
दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में तेजी से वृद्धि, बड़े पैमाने पर सुलभ समाधानों की व्यवस्था में मदद कर सकती है जो उनकी विविध आवश्यकताओं को पूरा करती है। अधिगम के लिए

यूनिवर्सल डिजाइन (यूडीएल) ढांचे को शामिल करना, सभी स्तरों पर समावेशी शिक्षा का समर्थन करेगा।

सिफारिश 7:
हर बच्चे को मौका देना और किसी भी बच्चे को दिव्यांगता के कारण पीछे न छोड़ना।
प्रत्येक बच्चे के लिए अवसर और सार्वभौमिक समावेश, स्कूल गुणवत्ता के महत्वपूर्ण मापदंडों का निर्माण करते हैं। इसलिए स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा से संबंधित विशिष्ट संकेतक शामिल होने चाहिए।

सिफारिश 8:
विविध शिक्षार्थियों को शामिल करने में सहायता करने वाली शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन।
इसके लिए उपयुक्त शिक्षक शिक्षा, शिक्षक-शिक्षण सामग्री के खुले और सुगम आधान के निर्माण और छिपे हुए दिव्यांगों का पता लगाने के लिए भारतीय भाषाओं में प्रासंगिक, मानकीकृत मूल्यांकन और नैदानिक साधनों के विकास की आवश्यकता होगी।

सिफारिश 9:
रूढ़िवादिता से बाहर आना तथा कक्षा एवं उसके परे दोनों ही स्थानों पर दिव्यांग बच्चों के प्रति सकारात्मक निपटान का निर्माण करना।
समेकित अभियान और बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान, खेल और सह-पाठयक्रम गतिविधियों को शामिल करते हुए, कक्षा के माहौल में और उसके परे मानसिकता में सुधार लाने और सुविधा प्रदान करने में योगदान प्रदान कर सकता हैं।

सिफारिश 10:
दिव्यांग बच्चों के लाभ के लिए सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदायों को शामिल करने वाली प्रभावी भागीदारी को प्रोत्साहन देना।
सभी हितधारकों को शामिल करने वाली साझेदारियां वांछित परिणाम प्राप्त करने और समावेशी स्कूलों के निर्माण के माध्यम से समावेशी समाजों के निर्माण के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

समावेशी शिक्षा को लागू करना जटिल है और संदर्भों की एक सीमा में बच्चों और उनके परिवारों की विविध आवश्यकताओं की बारीक समझ की आवश्यकता है। भारत ने स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की नामांकन दर में सुधार के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तथा कार्यक्रमों और योजनाओं को एक जगह रखने के मामले में काफी प्रगति की है। एसडीजी 4 और एजेंडा 2030 के ध्येयों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपायों की आवश्यकता है।

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

New Delhi Office
Cluster Office for Bangladesh,
Bhutan, India, Maldives,
Nepal and Sri Lanka

यूनेस्को, 1 सैन मार्टिन मार्ग,
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110 021
T: +91-11-2611 1873/5 & 2611 1867/9
F: +91-11-2611 1861
E: newdelhi@unesco.org
W: http://www.unesco.org/new/en/newdelhi/home